>

Title: The Minister of Rural Development made a statement regarding the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS).

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह): महोदय,

मैं इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो भारत सरकार का राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है, के कार्यान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

भारत सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा का उल्लेख है जिसमें यह कहा गया है कि " समाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।"

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: What are you doing?

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: What is this? आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय,

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वित्त मंत्री ने वर्ष 2006-07 के अपने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि " राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित लोगों को 75 रूपए प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। " यह खेद की बात है कि यह अपर्याप्त है। मैं पेंशन की राशि को बढ़ाकर 200 रूपए प्रति माह करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे भी अपने संसाधनों से इतना ही अंशदान दें ताकि पेंशन प्राप्त करने वाले निराश्रितों को कम से कम 400 रूपए प्रति माह मिल सके। इस समय सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्रति लाभार्थी प्रति माह कम से कम 200 रूपए पेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा, 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति लाभार्थी, प्रति माह 200 रूपए या इससे अधिक दे रहे हैं।

इसके अलावा, सभी ग्रामीण और शहरी गरीबों को वृद्धावस्था पेंशन देने तथा इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2007 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में यह कहा था कि " हम 65 वर्ष से अधिक आयु और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन देंगे। "

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, ये इतना लंबा भाषण कर रहे हैं।...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय,

उसी के अनुसरण में भारत सरकार ने 13.09.2007 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के लिए पात्रता मानदंड में किए गए परिशोधन को अनुमोदित कर दिया। मौजूदा मानदंड के अनुसार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष की आयु अथवा इससे अधिक और निराश्रित व्यक्ति को पेंशन दी जाती है। इस मानदंड को परिशोधित कर दिया गया है और अब उन वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी " जो 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हों और निराश्रित हों। " इस मानदंड को परिशोधित कर दिया गया है और अब उन वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन दी जाएगी " जो 65 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के हों और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार से हों। "

यह निर्णय भी लिया गया था कि :

(क) इस योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना रखा जाए।

(ख) इस योजना को पूरी तैयारी के साथ 19.11.2007 को शुरू किया जाए।

(ग) राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि सभी पात्रु व्यक्तियों को कवर किया जाए।

(घ)जहां भी व्यवहार्य हो पेंशन का भुगतान लाभार्थी के डाकघर खाते अथवा सार्वजनिक बैंक खाते में किया जाए।

उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यथाशीघ्र संशोधित मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करें। उनसे यह अनुरोध भी किया गया था कि वे राज्य तथा जिला स्तर पर तथा यदि संभव हो तो ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर उपयुक्त तरीके से 19.11.2007 को आईजीएनओएपीएस की शुरूआत करें तथा नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत में भी भाग लें।

आईजीएनओएपीएस का राष्ट्रीय शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 19.11.2007 को जीएमसी बालयोगी सभागार, संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली में किया गया था। इसमें लगभग 800 लाभार्थियों तथा 24 राज्यों से राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया तथा इस समारोह में प्रधानमंत्री के कर-कमलों से मंजूरी आदेश वितरित किए गए। शुभारम्भ समारोह में वित्त मंत्री ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि " इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एक मांग आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है तथा इसमें बजट की कोई बाधा नहीं है। " नए मानदंडों से लाभार्थियों की संख्या मौजूदा 87 लाख की लगभग दुगुनी होकर 1.6 करोड़ हो जाएगी। हमने अपने कमजोर वृद्ध नागरिकों में कुछ सुरक्षा की भावना पैदा करने की शुरूआत की है। सामाजिक सहायता के दायरे में विधवाओं और शारीरिक रूप से विकलांगों को भी शामिल करना उचित है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को शामिल करने की जरूरत है। हमें आशा है कि हम भविष्य में ऐसा कर लेंगे।

आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत लगभग 157.19 लाख लाभार्थियों को कवर करने में प्रति वर्ष 3772.56 करोड़ रूपए का खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) के लिए 435.07 करोड़ रूपए प्रति वर्ष उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार एनएसएपी के लिए कुल 4207.63 करोड़ रूपए के बजट का अनुमान है।

सभी माननीय सदस्यों से समर्थन और सहयोग की अपेक्षा है। [p15]

(Placed in Library, See No. LT 7702/2007)

12.10 hrs.